न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या एलआरए/309/2017

उनवान

1. पंचदशनाम जूना अखाडा बडा हनुमान घाट, वाराणसी जरिये महन्त गोपीगिरी पिता महन्त चमनगिरी निवासी शिवरती तहसील सहाडा मुकाम गंगापुर , जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. समस्त ग्रामवासियान शिवरती तहसील सहाडा जिला भीलवाडा जरिये प्रतिनिधि :–

1 प्रभु लाल पुत्र बंशी लाल सुवालका निवासी शिवरती तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

2 शंकर लाल पुत्र हीरा लाल जाट निवासी शिवरती
3 मांगी लाल पुत्र बालूराम शर्मा निवासी शिवरती
4 शंकर लाल पुत्र भैरू लाल ओझा निवासी शिवरती
5 नारायण सिंह पुत्र बगतावर सिंह राणावत निवासी शिवरती
6 भैरू लाल पुत्र केदारमल अग्रवाल निवासी शिवरती
7 लक्ष्मण पुत्र छोगा लुहार निवासी शिवरती
8 प्रहलाद पुत्र जगदीश लुहार निवासी शिवरती
9 जगदीशदास पुत्र भैरूदास वैष्णव निवासी शिवरती
10 सत्यनारायण पुत्र भैरूदास वैष्णव निवासी शिवरती
11 निवासराय पुत्र कन्हैया लाल महाजन निवासी शिवरती तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

2. भगवती लाल पुत्र कंवर लाल हिरण निवासी गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा
3. बालू लाल पुत्र लालू राम शर्मा निवासी मेघरास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सहाडा मुकाम गंगापुर जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अपील विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 49/2016 निर्णय दिनांक 31.7.2017

अधिवक्तागण :–

1. श्री रामेश्वर लाल जाट, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री एम एल बापना, प्रत्यर्थी संख्या 1,2
3. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 29.8.2018

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थीगण/प्रार्थीगण संख्या 1 से 13 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी/विपक्षी एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 से 4/विपक्षीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ग्राम शिवरती के प्रतिनिधी हैं। विपक्षी संख्या 1 के पिता कंवर लाल हिरण तहसील सहाडा मुकाम गंगापुर अहाते में स्टाम्प वेण्डर एवं प्रलेख लेखक थे, ने दिनांक11.4.1965 को एक आवेदन ग्राम शिवरती की आराजी नम्बर 180 में से 20 बीघा जमीन आवंटन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया । जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रार्थी के नाम गंगापुर में कोई भूमि नहीं है। भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट हुई कि प्रार्थी गंगापुर का रहने वाला है। मगर शिवरती की सरहद मेंसे आराजी नम्बर 581 में से 5 बीघा भूमि लेना चाहता है। यह रिपोर्ट दिनांक 31.5.1965 को हुई, जिसको काटा जाकर 10 बीघा कर दी गई व प्रार्थना पत्र को मुकाम गंगापुर अलोट की मीटिंग में रखा

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

गया व मृतक कंवर लाल पिता उगम लाल हिरण के नाम पर आराजी नम्बर 581 मेंसे 10 बीघा जमीन काश्त हेतु दिनांक 31.5.1965 को आवंटित की गई। उक्त भूमि में आवंटी मृतक कंवर लाल द्वारा कभी भी काश्त नहीं की गई, क्यों कि वह काश्तकार नहीं था और स्टाम्प वेण्डर के साथ–साथ अनुज्ञापत्र धारी पलेख लेखक था, किन्तु उसने फ्रोड व मिसरिप्रजेन्टेशन करके असलियत को छिपाते हुए 10 बीघा जमीन आवंटित करा ली और यह 10 बीघा जमीन उसके खाते में गैर खातेदारी हक से दर्ज हो गई। किन्तु आवंटन से हब तक भी आवंटित आराजी पर काश्त नहीं हुई। मृतक आवंटी ने दिनांक 12.12.1963 को एक विक्रय पत्र शिवनाथ सिंह पिता सज्जन सिंह निवासी गलवा की ओर से नरपत सिंह पिता सज्जन सिंह राजपूत के नाम पर प्रलेख लेखक की हैसियत से निष्पादित किया । इसके अलावा दिनांक 17.5.1965 को इसी मृतक आवंटी ने एक बक्षीसनामा गोकल पिता किशना कुम्हार निवासी आशाहोली की ओर से श्रीमती गट्टु पत्नी किशन कुम्हार निवासी चांदरास के पक्ष में निष्पादित किया । मृतक आवंटी ने दिनांक 4.6.1965 को एक विक्रय पत्र सोहन लाल वल्द कजोडी मल जोशी निवासी पोटलां की ओर से उदयराम पिता त्रिलोक सुथार निवासी पोटलां के पक्ष में लिखाा । मृतक आवंटी ने दिनांक 24.7.1979 को एक विक्रय पत्र छोगा पिता रूपा बंजारा की ओर से गेहरू पिता घीसा व देवा पिता बालु कुमावत निवासी उम्मेदपुरा के नाम पर भी निष्पादित किया । इसके अलावा भी मृतक आवंटी ने कई दस्तावेज बतौर प्रलेख लेखक लिखे और आवंटित भूमि 581 में से रकबा 10 बीघा के नये नम्बर 581/1 रकबा 7 बीघा व आराजी नम्बर 581/2 रकबा 3 बीघा जुमला 10 बीघा आवंटन के संवत 2046 तक पडत ही रहीं । इसके बाद तहसील सहाडा का नवीन बन्दोबस्त हुआ । जिसमें साबिक

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आराजी नम्बर 581/1 रकबा 7 बीघा के नये नम्बर 1085 व 581/2 रकबा 3 बीघा के नये नम्बर 1084 बने। कंवर लाल पिता उगमलाल का दिनांक 4.8.1994 को इन्तकाल होने पर विरासत से इंतकाल संख्या 118 दिनांक 19.1.2001 को विपक्षी संख्या 1 के नाम पर फैसल किया गया । किन्तु विपक्षी संख्या 1 ने कभी भी इस आराजी पर काश्त नहीं की और विपक्षी संख्या 1 ने दिनांक 20.8.2014 को उक्त आराजी नम्बर1084 रकबा 0.65 हेक्टेयर व आराजी नम्बर 1085 रकबा 1.51 हेक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.16 हेक्टेयर को विपक्षी संख्या 2 के नाम पर विक्रय कर विक्रय विलेख निष्पादित करवाकर उसका पंजीयन करा दिया । विपक्षी संख्या 2 ने दिनांक 14.9.2016 को विपक्षी संख्या 3 के नाम पर विक्रय पत्र निष्पादित कराकर उसका पंजीयन करा दिया । उक्त आराजी सार्वजनिक उपयोग उपभोग की होकर बावडी बनी हुई है तथा समस्त ग्रामवासियान के आस्था के केन्द्र हनुमान जी का मन्दिर भी इसी जमीन के पास बना हुआ है। तथकथित आवंटन न तो जलसे आममें हुआ और न ही शिवरती में हुआ, अपितु मुकामगंगापुर पर हुआ जिसका उल्लेख आवंटन आदेश में हो रहा है।

2. ग्रामवासियान को प्रथम बार सितम्बर 2016 के अन्तिम सप्ताह में जब विपक्षी संख्या 3 इस आराजी पर आकर निर्माण कार्य करवाने लगा तब प्रार्थीगण को जानकारी में आया, तब प्रार्थीगण ने बिना किसी देरी के यह आवेदन तथाकथित असलियत को छिपाते हुए फ्रॉड व मिसरिप्रजेन्ण्टेशन से कराये गये आवंटन को निरस्त कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। आवंटित आराजी ग्राम शिवरती तहसील सहाडा की सरहद में स्थित है। आवंटी मृतक कंवर लाल हिरण गंगापुर का निवासी है। उसका पुत्र विपक्षी संख्या 1 सेवानिवृत प्रबन्धक केन्द्रीय सहकारी बैंक, भीलवाडा भी गंगापुर का निवासी है। विपक्षी संख्या 2

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

मेघरास तहसील सहाडा का निवासी है तथा विपक्षी संख्या 3 हाल शिवरती तहसील सहाडा में निवासरत है । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मृतक आवंटी कंवर लाल पिता उगम लाल हिरण निवासी गंगापुर ने फ्रॉड व मिसरिप्रजेण्टेशन करके तथा वास्तविकता को छिपाते हुए दिनांक 31.5.1965 को कराये गये आवंटन को निरस्त फरमाया जावे। उसके बाद विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 के पक्ष में व विपक्षी संख्या 2 द्वारा विपक्षी संख्या 3 के पक्ष में कराये गये विक्रय पत्र भी स्वतः निरस्त होने योग्य है, क्योंकि एब इनिशियों वाईड आवंटन को एब इनिशियो के आधार पर एब इनिशिया हस्तान्तरणों को निरस्त कराने की आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि वे तो स्वतः ही निष्प्रभावी एवं निरस्त हो जाते हैं।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी आवंटन निरस्त किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को उसके नियुक्त अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि जब भी मामले मे अपीलार्थी की जरूरत पडेगी सूचित करके बुला लिया जायेगा। लेकिन कोई सूचना नहीं मिली । दिनांक 8.10.2017 को रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ग्रामवासियान द्वारा आवंटन खारिज हो जाने की बात कहकर जबरन भूमि से बेदखल करने की धमकी दी, इस पर अपीलार्थी ने अधिवक्ता से सम्पर्क कर मामले में नकल हेतु आवेदन पत्र

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

दिनांक 9.10.2017 को प्रस्तुत किया एवं नकल दिनांक 11.10.2017 को होने पर अवलिम्ब अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जावे।

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय कानून एवं वाकियात के विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थी संख्या 1/समस्त ग्रामवासियान द्वारा ग्राम शिवरती तहसील सहाडा जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 581 में से रकबा 10 बीघा भूमि के दिनांक 31.5.1965 को किये गये आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र अपीलाथ्री व अन्य रेस्पोडेण्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत यिका गया । बाद विचारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.7.2017 को आदेश पारित करते हुए रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए आवंटन को निरस्त कर दिया । उक्त अपीलाधीन आदेश तथ्यों एवं विधि के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि तथाकथित आवंटन वर्ष 1965 में किया गया है जो कि धारा 14 (4) आवंटन निरस्तीकरण 1970 कानूनन लागू होने से पूर्व का है जो विधि अनुसार पोषणीय नहीं होने से प्रथमदृष्टया उक्त प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य होते हुए भी आवंटन खारिज किये जाने में अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक त्रुटि की है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन मामले में विधिवत खातेदारी अधिकार प्राप्त

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हो चुके थे एवं खातेदारों द्वारा वादग्रस्त भूमि का विक्रय फरदन किया जा चुका है तथा विक्रय के आधार पर नामान्तरकण भी केता के नाम पर खोला जा चुका है। जिन खातेदारों ने वादग्रस्त आराजी को रजिस्टर्ड विक्रय के जरिये क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है । उनके विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकता है। राजस्व न्यायालय को इसका अधिकार प्राप्त नही है। इस कारण से उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा आवंटन निरस्त करने का जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 2 कंवर लाल के नाम पर आराजी नम्बर 582 में से 10 बीघा भूमि दिनांक 31.5.1965 को आवंटन सलाहकार समित द्वारा मजमे आम में विधिवत रूप से आवंटन किया गय । जिसके बटा नम्बर 581/1 रकबा 7 बीघा व आराजी नम्बर 581/2 रकबा 3 बीघा जिसके नये नम्बर 1085 एवं 1084 कायम किये गये है। जिस पर आवंटन की दिनांक से निरन्तर कंवर लाल जी काबिज थे व वे अपनी योग्यतानुसार कार्य करते थे। कंवर लाल जी के खेतों पर अपनी माता के साथ खेती कार्य करते थे एवं प्शु चराने व घर कार्य व मजदूरों के साथ खेत पर कार्य करते थे। उनके द्वारा अपने जीवनकाल में अरण्डी, सूरजमुखी की काश्त करना एवं पशुपालना व भिन्न प्रकार से कृषि कार्य किये गये हैं। कंवर लाल /आवंटी की मृत्यु के उपरान्त रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के नाम पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ग्रामवासियान के प्रार्थी/ रेस्पोडेण्ट संख्या 9 सत्यनारायण जो कि तत्कालीन सरपंच था, जिसके द्वारा इन्तकाल संख्या 118 दिनांक 19.1.2001 के जरिये नामान्तरकरण खोला गया व उक्त आवंटन की रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ग्रामवासियान को

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

शुरू से ही जानकारी थी। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने इन महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर गौर नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं होने से खारिज योग्य है।

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि इसके पश्चात रेस्पोडेण्ट संख्या 3 द्वारा रेस्पोडेण्ट संख्या 2 का मौके पर कब्जा होने व सरकारी रेकार्ड में उनका नाम दर्ज होने से मौका व रेकार्ड देखकर रेस्पोडेण्ट संख्या 3 द्वारा सप्रतिफल क्रय कर अपने आधिपत्य में प्राप्त की व इसके पश्चात अपीलार्थी जो कि हनुमान मंदिर का पुजारी है जिसने हनुमान जी के मन्दिर को आबाद करने व हनुमान जी के पास अखाडा बनाने के उद्धेश्य से उक्त भूमि को सप्रतिफल क्रय कर अपने आधिपत्य में प्राप्त की व मौ पर वर्तमान में गैहूँ की फसल काश्त कर रखी है। मौके पर अपीलार्थी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के पक्षकार संख्या 9 जो कि पूर्व में सरपंच रहा है व वैष्णव समाज का होकर उक्त भूमि अखाडा के नाम से क्रय करने से खफा होकर मात्र उक्त भूमि पर व अखाडा एवं मंदिर पर कब्जा करने की नियत से मिथ्या तथ्यों के आधार पर अन्य प्रार्थीगण को भडकाकर झूठे तथ्यों के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सारहीन होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

11. अधिवक्ता अपीलार्थी का यह भी कथन है कि मूलतः वादग्रस्त आराजी रकबा 10 बीघा दिनांक 31.5.1965 को कंवर लाल को आवंटित हुई थी। कंवर लाल जी की मृत्यु के उपरान्त उनके पुत्र भगवती लाल पुत्र कंवर लाल के नाम विरासत से इन्तकाल संख्या 118 दिनांक 19.1.2001 से राजस्व रेकार्ड में अंकन किया गया । भगवती लाल

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

खातेदार ने दिनांक 3.9.2014 को बालू लाल पुत्र लालू राम शर्मा को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये विक्रय कर कब्जा सुपुर्द किया गया। बालू लाल पुत्र लालू राम शर्मा जिसका नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदार के रूप में दर्ज था । जिससे अपीलार्थी ने को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तथा क्रय तिथि से अपीलार्थी का कब्जाकाश्त चला आ रहा है। अपीलार्थी के नाम वादग्रस्त आराजी इन्तकाल नम्बर 1115 दिनांक 5.10.2016 से राजस्व रेकार्ड में दर्ज की गई। वादग्रस्त भूमि के आवंटन के पश्चात खातेदारी अधिकार प्राप्त होने पर फरदन व्यक्तियों को विक्रय किया गया एवं उनके नाम पर भी नामान्तरकरण खुलने के बाद अपीलार्थी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये वादग्रस्त आराजी क्रय की एवं अपीलार्थी के नाम पर भी वादग्रस्त आराजी का नामान्तरकरण खोला जा चुका है। उक्त आवंटन के बाद 52 वर्ष के उपरान्त आवंटन को निरस्त कराने का आवेदन अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो पोषणीय ही नहीं रहता है। उसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश द्वारा आवंटन निरस्त किया जो विधिसम्मत नहीं है। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण आर आर डी 2016 पेज 163, आर बी जे (2) 1995 पेज 780 लगायत 786 प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

12. अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1/प्रत्यर्थी संख्या 1 से 13 के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है जिसका कोई सद्भाविक कारण अंकित नहीं किया गया है इसलिए अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने न्यायिक उद्धरण ए आई आर एस सी 1993 पेज 1178

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
शीलवाड़ा

प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

13. प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि आवंटी/कंवर लाल पिता उगम लाल हिरण ने वादग्रस्त आराजी का आवंटन छल–कपट पूर्वक, तथ्यों को छिपाते हुए मिथ्यादुर्व्यपदेशन से अपने नाम पर कराया है। आवंटी ग्राम शिवरती का निवासी नहीं होकर ग्राम गंगापुर का निवासी था । इस प्रकार मिथ्यादुर्व्यपदेशन से कराये गये आवंटन को निरस्त कराने हेतु आवेदन कभी भी किया जा सकता है। प्रत्यर्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपने कथनों की ताईद में न्यायिक उद्धरण आर आर डी 1990 पेज 465, डी एन जे (1) 2015 पेज 443, आर बी जे 2002 (9) पेज 146 डी बी राजस्थान हाई कोर्ट की ओर ध्यान आकर्षित किया।

14. अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण का यह भी निवेदन है कि आवंटी कंवरलाल वादग्रस्त भूमि को अपने हक में आवंटन कराने की पात्रता नहीं रखता था। आवंटी का मुख्य व्यवसाय कृषि नहीं था एवं वह ग्राम शिवरती का भी निवासी नहीं होकर ग्राम गंगापुर का निवासी था। आवंटी का मुख्य व्यवसाय स्टाम्प वेण्डर व प्रलेख लेखक का रहा है। आवंटी ने मात्र 5 बीघा भूमि का आवंटन अपने पक्ष में चाहा था एवं आवेदन पत्र में भी 5 बीघा भूमि का अंकन किया था। उसके बावजूद आवंटी के पक्ष में 10 बीघा भूमि का आवंटन कर दिया जो विधिविरूद्ध था। आवंटी ने आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर नियमानुसार काश्त नहीं की थी। आवंटी का वादग्रस्त भूमि पर कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा था। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे। अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1957 के नियम 1 से 17 ,

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आर बी जे (9) 2002 पेज 148 लगायत 152, डी एन जे 2014 (1) पेज 443, आर आर डी 1990 पेज 28, डी एन जे 2015 (1) पेज 443 प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

15. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया । उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया गया ।

16. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

17. राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1957 के नियम 2 के तहत आवंटी का मुख्य व्यवसाय कृषि होना अनिवार्य है जबकि अपीलाधीन मामले में आवंटी का मुख्य व्यवसाय कृषि नहीं होकर स्टाम्प वेण्डर एवं प्रलेख लेखक का रहा है। यहॉ तक कि आवंटी कंवर लाल ग्राम शिवरती का निवासी नहीं होकर ग्राम गंगापुर का निवासी था। आवंटी ने आवंटन हेतु मात्र 5 बीघा भूमि चाही थी। जबकि इसके विपरीत आवंटी को चाही गई भूमि से अधिक 10 बीघा भूमि का आवंटन किया गया जो विधि विपरीत था।

आवंटन शर्तो की पालना में आवंटी को आवंटन के प्रथम वर्ष में आवंटित भू भाग के 1/2 हिस्से पर काश्त करना अनिवार्य था एवं द्वितीय वर्ष में सम्पूर्ण भू भाग पर काश्त करना था। आवंटी ने आवंटित भूमि पर आवंटन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नियम राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1957 के नियम 14 (3) के तहत वादग्रस्त भूमि पर काश्त करने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था। आवंटी का वादग्रस्त आराजी पर कब्जाकाश्त रहा हो इस बाबत भी कोई दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किया गया है। आवंटी ने वादग्रस्त आराजी का आवंटन मिथ्यादुर्व्यपदेशन से कराया है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आर आर डी 1990 पेज 465, डी एन जे 2015 (1) राजस्थान पजे 443, एवं आर बी जे 2002 (9) पेज 146 वर्तमान प्रकरण पर लागू होती है। जिसके तहत आवंटी द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन छल–कपट से तथ्यों को छिपाते हुए मिथ्यादुर्व्यपदेशन से कराया जाना प्रमाणित होता है। छल–कपट से तथ्यों को छिपाते हुए मिथ्यादुर्व्यपदेशन से कराया गया आवंटन प्रारंभ से ही शून्य प्रभावी होने से उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के उपरान्त भी निरस्त किया जा सकता है। अपीलाधीन मामले में यद्यपि आवंटन के उपरान्त वादगस्त आराजी की खातेदारी अधिकार भी मिल गये थे एवं खातेदार की मृत्यु के उपरान्त उसके पुत्र को विरासत से खातेदारी अधिकार मिल गये थे एवं उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि का विक्रय रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये कर दिया गया था एवं क्रेता के पक्ष में नामान्तरकण भी खुल कर उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये थे। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी क्रेता द्वारा पुनः रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के जरिये प्रत्यर्थी संख्या 3 को विक्रय कर दी एवं वर्तमान में अपीलार्थी जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता होकर राजस्व रेकार्ड में खातेदार दर्ज रेकार्ड है। परन्तु चूंकि मूल आवंटन ही शून्य प्रभावी था इसलिए अपीलार्थी को वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नही होते हैं साथ ही आराजी का बेचान किया जाने से भी सिद्ध होता है कि आवंटी की आराजी पर काश्त करने की नियत

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

नहीं थी, उसकी आजीविका का साधन कृषि नही था । इस प्रकार प्रस्तुत नजीरात प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा नहीं होती है। 8अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है। वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझतें हैं ।

18. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.7.2017 को यथावत रखा जाता है।

19. निर्णय आज दिनांक 31.8.2018 को सरे इजलास सुनाया गया ।

31/8/18एवं

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा